भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

(53)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क /14 निगरानी

निगरानी 2174-PBR-15

सी. एम. गुप्ता 15

नीरज भण्डारी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी निवासी पदमनगर खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा म0प्र0

—प्रार्थी

श्री सी. एम. गुप्ता, अभि०
द्वारा आज दि. 13-7-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
13-7-15

बनाम

1 पूनमचन्द पिता स्व0 श्री मिश्रीलाल अग्रवाल निवासी बालाजी टैक्सटाईल्स बांबे बाजार खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

आदेश दिनांक 14.3.18 के अनुसार प्रति क्र. 1 के वारिसान का संशोधन
(क) पवन अग्रवाल पुत्र स्व. पूनमचंद
(ख) श्रीमती श्यामा अग्रवाल पत्नी स्व. पूनमचंद
(ग) पंकज अग्रवाल पुत्र स्व. पूनमचंद
(घ) श्रीमती ... पत्नी हितेश अग्रवाल पुत्री स्व. पूनमचंद नि. ... सूरत गुजरात
(ङ) श्रीमती ... पत्नी ... अग्रवाल पुत्री पूनमचंद नि. ... जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
(च) श्रीमती ... पत्नी श्री ... अग्रवाल पुत्री स्व. पूनमचंद नि. मुम्बई

2 नमन गोपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश अग्रवाल

3 श्रीमती रूपा उर्फ साक्षी पत्नी श्री विक्रम कुमार झुनझुनवाला पिता स्व0 श्री ओमप्रकाश अग्रवाल

4 श्रीमती कल्पना पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश अग्रवाल निवासीगण गोयल निवास मालीकुंआ, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

5 राजेन्द्र कुमार पिता स्व0 श्री श्यामलाल अग्रवाल निवासी गोयल निवास मालीकुंआ, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

क्रमशः 02

6 गोर्वधनदास अग्रवाल पिता स्व0 श्री रामचन्द्र अग्रवाल निवासी बुधवारा बाजार, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला खण्डवा

7 सुरेशचन्द पिता स्व0 श्री रामचन्द अग्रवाल निवासी बुधवारा बाजार, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला खण्डवा

8 हरजीत सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी सनावद तहसील बडवाह जिला खरगोन

9 भगवाान सिंह पिता श्री मोनेसिंह निवासी पुराने आर टी ओ ऑफिस के सामने, आनंद नगर खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

10 धर्मेन्द्र सिंह पिता श्री हरीसिंह सांवले निवासी मकान न 06 आनंद नगर खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

11 अनिल आहूजा पिता श्री सुन्दरलाल आहूजा निवासी टेगोर कॉलोनी खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

12 सचिन कुमार जैन पिता श्री इन्द्रकुमार जैन निवासी रामगंज खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

कमशः 03

13 श्रीमती मानकबाई पत्नी श्री हकीम अली निवासी मकान न 48 स्कीन न 102, माणिक बाग रोड इन्दौर

14 श्रीमती नफीसा पत्नी श्री अजगर अली निवासी सनगली बोहरा मस्जिद के पास खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

15 सेवकराम वर्मा पिता श्री सुरेश चन्द्र वर्मा निवासी गंज बाजार खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

16 श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी श्री अरूण गुप्ता निवासी 92, रेल्वे कॉलोनी आंनद नगर खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

17 श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता निवासी भवानी माता रोड खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

18 श्रीमती शीतल गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता निवासी भवानी माता रोड खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

19 श्रीमती सुनीता बंसल पत्नी श्री सुनील बसंल निवासी गोल बाजार, खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा

20 रितेश वर्मा पिता श्री कमल चन्द वर्मा निवासी भगत सिंह चौक खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा ——**प्रतिप्रार्थीगण**

क्रमशः 04

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 11/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत खण्डवा – 02

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2174-पीबीआर/2015 जिला खण्डवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त खण्डवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6-अ/2010-11 में पारित आदेश दि. 29-5-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नक्शा दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार तहसील न्यायालय को नहीं होने से उनके द्वारा नक्शा दुरूस्ती के संबंध कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है, क्योंकि नक्शा दुरूस्ती के संबंध तहसील न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया। 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा दुरूस्ती का प्रकरण प्रचलित है । आवेदक की आपत्तियॉ प्रकरण से असम्बद्ध हैं, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा स्वत्व का निराकरण नहीं किया जा रहा है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त खण्डवा द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि. 29-5-2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	